संघ प्रदेश दमण एवं दीव प्रशासन / U.T. Administration of Daman & Diu
राजभाषा विभाग, दमण / Official Language Department, Daman

~~~~~~

FD

संख्या.रा.भा. 7(10)/ नराकास-बैठक/2013-17/ 84/115 दिनांक : 22/09/0217

<u>का र्य वृ त्त / MINUTES</u>

विशेष सचिव (राजभाषा), दमण एवं दीव की अध्यक्षता में दिनांक **<u>04/09/2017</u>** को अपराह्न 03:00 बजे सचिवालय सभागार, मोटी दमण में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति एवं राजभाषा कार्यान्वयन समिति, दमण की संयुक्त रूप से 31वीं बैठक का आयोजन हुआ ।

मद सं.-1. <u>हिन्दी दिवस एवं हिन्दी पखवाड़ा में भाग लेने से संबंधी :</u>

अध्यक्ष महोदय को जानकारी दी गई कि इस वर्ष दिनांक 14/09/2017 को हिन्दी दिवस एवं संयुक्त हिन्दी पखवाड़ा का शुभारंभ एवं दिनांक 29/9/2017 को हिन्दी पखवाड़ा समापन एवं पुरस्कार वितरण समारोह मनाये जाने का निर्णय लिया है ।

<u>लिया गया निर्णय :</u> अध्यक्ष महोदय ने कहा कि संयुक्त हिन्दी पखवाड़ा के दौरान आयोजित की जाने वाली हिन्दी प्रतियोगिताओं में प्रशासन के सभी अधिकारी यथासंभव स्वयं भी हिस्सा लें और अपने कार्यालय से कम से कम दो कर्मचारियों को हिन्दी पखवाड़ा में भाग लेने के लिए निर्देश दें ।

(कार्रवाई : संबंधित विभाग)

मद सं.-2. <u>कार्यालयों द्वारा हिन्दी में 90 % से अधिक पत्राचार किये जाने के बारे में :</u>

अध्यक्ष महोदय को जानकारी दी गई कि दमण एवं दीव 'ख' क्षेत्र में स्थित होने के कारण इस संघ प्रदेश से दूसरे कार्यालयों के साथ नियमानुसार हिन्दी में मूल रूप से 90% पत्राचार किया जाना अपेक्षित है । फिर भी कुछ कार्यालयों द्वारा इस दिशा में अधिक प्रयास किये जाने की आवश्यकता है ।

लिया गया निर्णय : अध्यक्ष महोदय ने कहा कि गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित 90 % के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी विभागों को प्रयास करने चाहिए । उन्होंने सभी कार्यालयों के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे इस दिशा में अपेक्षित ध्यान दें ।

(कार्रवाई : संबंधित विभाग)

मद सं.-3. <u>राजभाषा अधिनियम की धारा-3(3) के अनुपालन के बारे में</u>

अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया गया कि राजभाषा अधिनियम,1963 की धारा-3(3) के अंतर्गत निर्धारित दस्तावेजों को अनिवार्य रूप से हिन्दी एवं अंग्रेजी में ही जारी किया जाना अपेक्षित है । चर्चा के बाद सभी सदस्य अधिकारियों को राजभाषा अधिनियम की धारा-(3) के अन्तर्गत आनेवाले निम्नलिखित कागजातों के बारे में जानकारी दी गई ।

1.	सामान्य आदेश/General Orders	9.	संविदा / Contract
2.	परिपत्र /Circular	10.	प्रेस विज्ञप्ति / Press communiqué
3.	ज्ञापन /Memorandum	11.	अनुज्ञापत्र / License
4.	संकल्प / Resolution	12.	निविदा / Tender
5	अधिसूचना / Notification	13.	निविदा प्रपत्र /Tender Form
6.	सूचना / Notice	14.	संसदीय रिपोर्ट / Parliamentary Report
7.	नियम / Rules	15	संसदीय प्रश्न / Parliamentary Question
8.	करार / Agreement		

लिया गया निर्णय : उपस्थित अधिकारियों को सूचित किया गया कि वे राजभाषा अधिनियम का समुचित अनुपालन करेंगे एवं भविष्य में इसके उल्लंघन से बचेंगे ।

(कार्रवाई : संबंधित कार्यालय अध्यक्ष)
~~~~~~